राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1686 / SEIAA/2022
Date: 23/9/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
SEAC,
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

विषयः–**प्रकरण क्र. 9221 / 2022** परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पुष्पलता तिवारी पत्नि श्री ओमप्रकाश तिवारी, निवासी– मित्तल इन्क्लेव, प्लाट नं. 160, जिला कटनी (म.प्र.)–483501 द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19818 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.40 हेक्टेयर, खसरा 624 भाग, ग्राम बन्डा, तहसील मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में लिये गये निर्णय उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 747 वी बैठक दिनांक 14.09.2022 में विष्तृत विचार विमर्श उपरांत निम्ननुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा बैरियर जोन एवं नो माईनिंग जोन में 2000 पौधों का रोपण किये जाने की अनुशंसा की गई है यद्धपि इतनी अधिक संख्या में पौधों का रोपण किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्तानुसार बैरियर जोन एवं नो माईनिंग जोन में क्षेत्र की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के दृष्टिगत पौध रोपण की संख्या का आकलन करवाये जाने के उपरांत अनुशंसित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1687 /SEIAA/2022 दिनांक – 23/9/22

प्रतिलिपिः–

श्रीमती पुष्पलता तिवारी पत्नि श्री ओमप्रकाश तिवारी, निवासी– मित्तल इन्क्लेव, प्लाट नं. 160, जिला कटनी (म.प्र.)

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी